उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-42/2015/ए-3/22-4-15-48(57)/12

लखनऊ : दिनांक-13 फरवरी, 2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन **जिला कारागार, मुरादाबाद** के लिए निम्नलिखित 02 व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

1- श्री शकील अहमद खाँ पुत्र श्री सईद अहमद खाँ, निवासी-गलशहीद थाने के सामने, जनपद- मुरादाबाद।

2- श्री मौ0 इदरीस पुत्र स्व0 मो0 घसीटा खाँ, निवासी- ग्राम व पोस्ट- पीपलसाना, थाना- भोजपुर, जनपद- मुरादाबाद।

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-42/2015/ए-3(1)/22-4-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
6- सम्बन्धित व्यक्ति।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in